संख्या-137/2025/1091/सैंतीस-2-2025/001-1(39)/07

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-04 अगस्त, 2025

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-88/सा0-1/एक्स-120(187)/अनुरक्षण/2025-26, दिनांक-25.06.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-04-पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना) के मानक मद 29-अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-146.60 लाख (रूपये एक करोड़ छियालिस लाख साठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैंः-

1. जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जायेगा, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अनुरक्षण कार्य हेतु गठित आगणन पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग अथवा उ0प्र0 शासन, जो भी सक्षम स्तर हो, का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। कार्यों की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
10. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
11. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
12. कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0/सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही उक्त कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
13. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,46,60,000 (रुपये एक करोड़ छियालीस लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 2403001010400 पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना) **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

<u>पृ0सं0-137/2025/1091(1)/सैंतीस-2-2025/001-1(39)/07, तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-137/2025/1091/सैंतीस-2-2025/001-1(39)/07, दिनांक-04 अगस्त, 2025 का संलग्नक:-

पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) वर्ष 2025-26

क्र0	जनपद का नाम	विभागीय संस्थाओं का नाम/स्थल	निर्माण का वर्ष	प्रस्तावित कार्य	धनराशि (लाख में)
1	अमेठी	प.चि. गौरीगंज, वि.ख. गौरीगंज	1997-98	रंगाई-पुताई	1.25
2	अमेठी	प.चि. अमेठी, वि.ख. अमेठी	2007-08	रंगाई-पुताई	1.25
3	अमेठी	प.चि. मुसाफिरखाना, वि.ख. मुसाफिरखाना	-	रंगाई-पुताई	1.25
4	अमेठी	प.चि. सिंहपुर, वि.ख. सिंहपुर	-	रंगाई-पुताई	1.25
5	अमेठी	प.चि. जगदीशपुर, वि.ख. जगदीशपुर	2006-07	रंगाई-पुताई	1.25
6	अमेठी	प.चि. रानीगंज, वि.ख. जगदीशपुर	-	रंगाई-पुताई	1.25
7	अमेठी	प.चि. इन्हौना, वि.ख. सिंहपुर	2000-01	रंगाई-पुताई	1.25
8	अमेठी	प.चि. नवावां, वि.ख. बहादुरपुर	-	रंगाई-पुताई	1.25
9	अमेठी	प.चि. फुरसतगंज, वि.ख. बहादुरपुर	1999	रंगाई-पुताई	1.25
10	अमेठी	प.चि. बहादुरपुर, वि.ख. बहादुरपुर	2005-06	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.25
11	अमेठी	प.रो.नि.प्रयो. गौरीगंज	-	मरम्मत एवं रंगाई-पुताई	1.30
12	सीतापुर	प.चि. ऐलिया	2011	रंगाई-पुताई	1.00
13	सीतापुर	प.चि. लहरपुर	-	रंगाई-पुताई	1.00
14	सीतापुर	प.चि. भण्डिया	2017	रंगाई-पुताई	1.00
15	सीतापुर	प.चि. जहांगीराबाद	2019	मरम्मत एवं रंगाई-पुताई	1.00
16	सीतापुर	प.चि. रेउसा	2019	रंगाई-पुताई	1.00
17	सीतापुर	प.चि. अटरिया	2012	रंगाई-पुताई	1.00
18	सीतापुर	प.चि. मानपुर	2010	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.10
19	सीतापुर	प.चि. बेहटा	2017	रंगाई-पुताई	1.20
20	सीतापुर	प.चि. सहादतनगर	-	रंगाई-पुताई	1.00
21	सीतापुर	प.चि. नीमसार	2012-13	रंगाई-पुताई	1.20
22	सीतापुर	प.चि. खैराबाद	-	रंगाई-पुताई	1.00
23	सीतापुर	प.चि. सिंधौली	2015-16	रंगाई-पुताई	1.00
24	कौशाम्बी	प.चि. मालीपुर महराजगंज	2006-07	मरम्मत एवं रंगाई-पुताई	1.40
25	कौशाम्बी	प.चि. गनपा, वि.ख. कड़ा	2005-06	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.40
26	कौशाम्बी	प.चि. मूरतगंज, वि.ख. मूरतगंज	2004-05	रंगाई-पुताई	1.30
27	कौशाम्बी	प.चि. चरवा, वि.ख. चायल	2003-04	रंगाई-पुताई	1.40
28	सुल्तानपुर	प.चि. सदर, वि.ख. दुबेपुर	2010	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.50
29	सुल्तानपुर	प.चि. अलीगंज, वि.ख. कुडवार	1994	रंगाई-पुताई	1.50
30	सुल्तानपुर	प.चि. लम्भुआ, वि.ख. लम्भुआ	2000	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.50
31	सुल्तानपुर	प.चि. अर्जुनपुर, वि.ख. लम्भुआ	2012	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.50
32	सुल्तानपुर	प.चि. केनौरा, वि.ख. भदैया	2014	मरम्मत एवं रंगाई-पुताई	1.50
33	सुल्तानपुर	प.चि. शाहगढ़धोपाप, वि.ख. लम्भुआ	2012	रंगाई-पुताई	1.50
34	सुल्तानपुर	प.चि. शम्भूगंज, वि.ख. भदैया	2010	रंगाई-पुताई	1.50
35	सुल्तानपुर	प.चि. शाहपुर, वि.ख. पी.पी. कमैचा	2020	रंगाई-पुताई	1.50
36	सुल्तानपुर	प.चि. भदैया, वि.ख. भदैया	2020	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.50
37	सुल्तानपुर	प.चि. सारंगपुर, वि.ख. कूरेभार	2007	मरम्मत एवं रंगाई-पुताई	1.50

38	सुल्तानपुर	प.से.के. इटकौली, वि.ख. कूरेभार	1980	रंगाई-पुताई	1.00
39	सुल्तानपुर	प.से.के. सेमरी, वि.ख. जयसिंहपुर	1950	रंगाई-पुताई	1.00
40	सुल्तानपुर	प.से.के. पाण्डेबाबा, वि.ख. मोतिगरपुर	1980	रंगाई-पुताई	1.00
41	सुल्तानपुर	प.से.के. हरीपुरबनवा, वि.ख. भदैया	1986	रंगाई-पुताई	1.00
42	सुल्तानपुर	प.से.के. भादा, वि.ख. दुबेपुर	-	रंगाई-पुताई	1.00
43	सुल्तानपुर	प.से.के. कटका, वि.ख. कूरेभार	-	रंगाई-पुताई	1.00
44	सुल्तानपुर	प.से.के. खरसोमा, वि.ख. कूरेभार	-	रंगाई-पुताई	1.00
45	सुल्तानपुर	प.से.के. दखिनवारा, वि.ख. कूरेभार	-	रंगाई-पुताई	1.00
46	सुल्तानपुर	प.से.के. पयागीपुर, वि.ख. दुबेपुर	-	रंगाई-पुताई	1.00
47	सुल्तानपुर	प.से.के. मेवपुर, वि.ख. करौंदीकला	2023	रंगाई-पुताई	1.00
48	सुल्तानपुर	प.से.के. गजेन्द्रपुर, वि.ख. करौंदीकला	-	रंगाई-पुताई	1.00
49	सिद्धार्थनगर	प.चि. डुमरियागंज	1998	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.00
50	सिद्धार्थनगर	प.चि. खुनियांव	2001	रंगाई-पुताई	1.00
51	सिद्धार्थनगर	प.चि. बांसी	2003	रंगाई-पुताई	1.00
52	सिद्धार्थनगर	प.चि. उसका बाजार	-	रंगाई-पुताई	1.00
53	सिद्धार्थनगर	प.चि. सोहास	-	रंगाई-पुताई	1.20
54	सिद्धार्थनगर	प.चि. गौरडीह	2018	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.00
55	सिद्धार्थनगर	प.चि. जोगिया	-	मरम्मत एवं रंगाई-पुताई	1.20
56	सिद्धार्थनगर	प.चि. ककरहवां	2008	रंगाई-पुताई	1.20
57	सिद्धार्थनगर	प.चि. शोहरतगढ़	-	रंगाई-पुताई	1.00
58	सिद्धार्थनगर	प.चि. बसहिया	-	रंगाई-पुताई	1.00
59	सिद्धार्थनगर	प.चि. बिरकोहर	-	रंगाई-पुताई	1.00
60	बलरामपुर	प.चि. बघेलखंड, वि.ख. गैसड़ी	2013	रंगाई-पुताई	1.40
61	बलरामपुर	प.चि. गैसड़ी, वि.ख. गैसड़ी	1998	रंगाई-पुताई	1.40
62	बलरामपुर	प.चि. महदेइयामोड़, वि.ख. श्रीदत्तगंज	2000	मरम्मत एवं रंगाई-पुताई	1.35
63	बलरामपुर	प.चि. गौराचौराहा, वि.ख. बलरामपुर	2002	मरम्मत एवं रंगाई-पुताई	1.40
64	बलरामपुर	प.चि. सादुल्लानगर, वि.ख. रेहराबाजार	2004	मरम्मत एवं रंगाई-पुताई	1.40
65	बलरामपुर	प.चि. हरैया, वि.ख. हरैयासतपुरवा	1999	मरम्मत एवं रंगाई-पुताई	1.40
66	आगरा	प.चि. शीतलकुंड, वि.ख. अकोला	2007-08	रंगाई-पुताई	1.00
67	आगरा	प.चि. पनवारी, वि.ख. अछनेरा	-	रंगाई-पुताई	1.10
68	आगरा	प.चि. पैसई, वि.ख. खन्दोली	2010	रंगाई-पुताई	1.00
69	आगरा	प.चि. खाण्डा, वि.ख. खन्दौली	2010	रंगाई-पुताई	1.00
70	आगरा	प.चि. नवांमील, वि.ख. अकोला	2006	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.50
71	आगरा	प.चि. खेरागढ़, वि.ख. खेरागढ़	1974-75	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.70
72	आगरा	प.चि. अयेला, वि.ख. खेरागढ़	2008	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.70
73	आगरा	प.चि. सरैंधी, वि.ख. जगनेर	2016	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.00
74	आगरा	प.चि. हसेला, वि.ख. अछनेरा	2008	रंगाई-पुताई	1.00
75	आगरा	प.चि. सिकन्दरा, वि.ख. विचपुरी	-	रंगाई-पुताई	1.00
76	आगरा	प.से.के. उजरई, वि.ख. खन्दोली	1960	मरम्मत एवं रंगाई-पुताई	1.20
77	आगरा	प.से.के. कुबेरपुर, वि.ख. खन्दोली	1990	रंगाई-पुताई	1.00
78	आगरा	प.से.के. आंवलखेड़ा, वि.ख. खन्दोली	1970	रंगाई-पुताई	0.80

79	आगरा	प.से.के. दहतोरा, वि.ख. विचपुरी	-	रंगाई-पुताई	0.80
80	आगरा	प.से.के. दूरा, वि.ख. फतेहपुरसीकरी	2002	मरम्मत एवं रंगाई-पुताई	1.30
81	औरैया	प.चि. फूलपुर, वि.ख. अजीतमल	2006	रंगाई-पुताई	1.00
82	औरैया	प.चि. गंगदासपुर, वि.ख. अजीतमल	1999	रंगाई-पुताई	1.00
83	औरैया	प.चि. बबाइन, वि.ख. औरैया	2006	रंगाई-पुताई	1.00
84	औरैया	प.चि. अयाना, वि.ख. औरैया	2006	रंगाई-पुताई	1.00
85	औरैया	प.चि. हैदरपुर, वि.ख. अजीतमल	1999	रंगाई-पुताई	1.00
86	औरैया	प.चि. सदर, वि.ख. औरैया	1999	रंगाई-पुताई	1.00
87	औरैया	प.चि. दिबियापुर, वि.ख. भाग्यनगर	2000	रंगाई-पुताई	1.00
88	औरैया	प.चि. पूर्वासुजान, वि.ख. विधूना	1999	रंगाई-पुताई	1.00
89	औरैया	प.चि. भटौरा, वि.ख. एरवाकटरा	2006	रंगाई-पुताई	1.00
90	औरैया	प.से.के. बमुरीपुर, वि.ख. औरैया	2000	रंगाई-पुताई	0.80
91	औरैया	प.से.के. हसुलिया, वि.ख. औरैया	-	रंगाई-पुताई	0.80
92	औरैया	प.से.के. क्योटरा, वि.ख. औरैया	-	रंगाई-पुताई	0.80
93	औरैया	प.से.के. टडवाबिकू, वि.ख. अजीतमल	1999	रंगाई-पुताई	0.80
94	औरैया	प.से.के. भीखेपुर, वि.ख. अजीतमल	1999	रंगाई-पुताई	0.80
95	औरैया	प.से.के. हरचन्दपुर, वि.ख. अछल्दा	-	रंगाई-पुताई	0.85
96	औरैया	'द' श्रेणी प.औ. कुदरकोट, वि.ख. एरवाकटरा	2000	रंगाई-पुताई	0.80
97	सोनभद्र	प.चि. राबर्टसगंज, वि.ख. राबर्टसगंज	2016	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.40
98	सोनभद्र	प.चि. नईबाजार, वि.ख. राबर्टसगंज	2014	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.35
99	सोनभद्र	प.चि. चुर्क, वि.ख. राबर्टसगंज	-	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.40
100	सोनभद्र	प.चि. लैव, वि.ख. राबर्टसगंज	2007	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.40
101	सोनभद्र	प.चि. पिपरी, वि.ख. म्योरपुर	-	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.30
102	सोनभद्र	प.चि. सुकृत, वि.ख. करमा	2013	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.35
103	सोनभद्र	प.चि. करमा, वि.ख. घोरावल	2012-13	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.40
104	सोनभद्र	प.चि. नगवा, वि.ख. नगवा	-	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.40
105	सोनभद्र	प.चि. खलियारी, वि.ख. नगवा	2017	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.35
106	सोनभद्र	प.चि. बभनी, वि.ख. बभनी	2011	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.40
107	सोनभद्र	प.चि. बगौरा, वि.ख. चतरा	-	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.35
108	वाराणसी	प.चि. चोलापुर, वि.ख. चोलापुर	2019	रंगाई-पुताई	1.00
109	वाराणसी	प.चि. खरगूपुर, वि.ख. सेवापुरी	2018	रंगाई-पुताई	1.00
110	वाराणसी	प.चि. सेवापुरी, वि.ख. सेवापुरी	2014	रंगाई-पुताई	1.00
111	वाराणसी	प.चि. काशीविद्यापीठ, वि.ख. काशीविद्यापीठ	1964	रंगाई-पुताई	1.00
112	वाराणसी	प.चि. बी.एच.यू., वि.ख. काशीविद्यापीठ	1947	मरम्मत एवं रंगाई-पुताई	1.30
113	वाराणसी	प.चि. रामनगर, वि.ख. काशीविद्यापीठ	2019	रंगाई-पुताई	1.00
114	वाराणसी	प.चि. चिरईगांव, वि.ख. चिरईगांव	1962	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.30
115	वाराणसी	प.से.के. अजगरा, वि.ख. चोलापुर	2018	रंगाई-पुताई	0.70
116	वाराणसी	प.से.के. टिकरी, वि.ख. काशीविद्यापीठ	-	रंगाई-पुताई	0.70
117	वाराणसी	प.से.के. कंदवा, वि.ख. काशीविद्यापीठ	-	रंगाई-पुताई	0.70
118	वाराणसी	प.से.के. जाल्हूपुर, वि.ख. चिरईगांव	-	रंगाई-पुताई	0.70
119	भदोही	प.चि. भदाही	1994	रंगाई-पुताई	0.50

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

120	भदोही	प.चि. खरगपुर, वि.ख. औराई	2007	रंगाई-पुताई	0.50
121	भदोही	प.चि. दरूनहा, वि.ख. भदोही	1998	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.40
122	भदोही	प.चि. कंधिया, वि.ख. भदोही	2007	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.40
123	भदोही	प.चि. जंगीगंज, वि.ख. डींघ	2002	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.40
124	भदोही	प.चि. बिन्दनगर, वि.ख. ज्ञानपुर	2002	प्लास्टर एवं रंगाई-पुताई	1.40
125	बरेली	प.चि. श्यामगंज, वि.ख. शहरीक्षेत्र	1969	रंगाई-पुताई	1.00
126	बरेली	प.चि. फरीदपुर, वि.ख. फरीदपुर	1972	रंगाई-पुताई	1.00
127	बरेली	प.चि. सिरौली, वि.ख. रामनगर	1985	रंगाई-पुताई	1.00
128	बरेली	प.चि. नवाबगंज, वि.ख. नवाबगंज	1982	रंगाई-पुताई	1.00
129	बरेली	प.चि. क्योल़डिया, वि.ख. भवपुरा	1970	रंगाई-पुताई	1.00
योग -					**146.60**

(रूपये एक करोड़ छियालिस लाख साठ हजार मात्र)

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।